is no statement of the Prime Minister. Therefore, there being no finding by the Prime Minister, the statement made by Shri S. M. Banerjee should go to the Privileges Committee as a fresh issue, and not as an issue that was already disposed of by the Prime Minister.

Mr. Speaker: On that day when the discussion was going on, during the course of it, he made some remarks.

Shri Nath Pai (Rajapur): Sir, now that there is opposition to the motion, your duty is very simple—put it to the vote.

Mr. Speaker: I must give my view. Of course, ultimately, I am in the hands of the House.

श्री मधु लिमये : आप सदन पर छोड़ दीजिए, आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं, जैसे उस दिन नहीं लिया था वैसे ही इस वक्त भी कीजिये। हालांकि उस समय लेना चाहिये था, लेकिन फिर भी अपने अपने ऊपर नहीं लिया, जब कि 1954 की कमेटी की राय बिलकुल साफ थी—

> "The presiding authority shall refer the matter to the Chairman of the other House."

तब भी आपने नहीं किया। अब इस को सदन पर छोड़ दीजिए।

Mr. Speaker: It is not a question of putting it before the House. I will give my decision on Monday. I do not want to offend any side but take a correct view. Now, we will take up the Half-an-Hour Discussion.

18.03 hrs.

REPATRIATION OF DR. DHARMA TEJA*

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा से संकट की हालत में हूं, जो अक्सर हो जाया करती है, क्योंकि अगर मैं स्वतंत्र पार्टी का सदस्य होता, तब मेरा रास्ता साफ़ था और मेरे हाथ में कुछ कागज हैं, जिन से मैं तेजा साहब की तरफ़दारी कर सकता था। उनसे मुझे पांच-चार पत्र मिल चुके हैं—जयन्ती तेजा से। अगर मैं भारतीय कम्युनिस्ट होता, तो भी मेरा रास्ता साफ़ था, क्योंकि वे कागज हैं भारत सरकार की कार्यवाहियों के, जिनसे मैं बिलकुल साफ़ तरीके पर तेजा साहब पर चढ़ बैठता। मेरा रास्ता तो सच्चाई का है, इसलिये छुरी की धार की तरह है और मैं कोशिश करूंगा कि इस मामले को जितने भी सच्चे ढंग से रख सकूं, रखूं।

जो जयन्ती तेजा साहब हैं, उनके खत मिले हैं, उनमें से एक उनकी बीवी श्रीमती रंजीत तेजा का है। मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि एक जमाना था, जब इस देश का हर दरवाजा—मैं गलती कर गया—हर अमीर दरवाजा उनके लिये खुला रहता था, हर मर्द और औरत बड़े चाव के साथ उनका स्वागत करता था, वह रंजीत तेजा ने मुझको खत में लिखा है—यह लिखा है जून 14, 1967 को। खत तो काफ़ी भेज चुके हैं, मैं समझता हूं शायद उन तक यह बात पहुंच चुकी है कि कम से कम इस मुल्क में एक आदमी है जो कभी एक चीज़ जो इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिये नहीं करेगा। उन्होंने लिखा है कि—उनके पति ने पहले मुझ को खबर दी थी, लेकिन मैंने उन को यह जवाब दिया था कि जब तक मुझ को बात नहीं बताओगे गवाही की, तब तक नहीं मानूंगा, पता नहीं क्या लिखते हो, क्या नहीं लिखते हो।

> "Let me confirm the meeting between Mr. T. N. Kaul and me in London".

---

*Half-an-hour Discussion.

18.05 hrs

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय, आप चले जा रहे हो, यह मामला बहुत जबरदस्त था, आप ही का था।

"Let me confirm the meeting between Mr. T. N. Kaul and me."

"मी" मायने रंजीत तेजा जयन्ती, दस्तखत किये है, "रजीत तेजा"

"in London in early September 1966 during which he advised us to stay out of India until after the elections."

मतलब यह कि चुनाव के दिनों में यहां मत रहना। इस मामले में इस सदन में बहुत बहस हो चुकी है। यह जयन्ती तेजा साहब इस देश से इतने घबराते क्यों रहे हैं। मैंने अपने खत में यह भी लिख दिया था कि आप लोगों की बात को कोई कैसे मान लेगा। उनका वाक्य है :—

"I do not see any earthly reason why you would deny seeing me since there was a witness to the meeting."

यानी एक और साहब वहां पर थे, कई टेलीफोन वगैरह से भी बताया गया। यहां उन्होंने विटनेस का नाम नहीं बताया, लेकिन जब अदालत में मामला जायगा, तब आजायगा। उन्होंने कहा है कि कई टैलीफोन के जरिये हम से कहा गया कि जब तक हिन्दुस्तान में चुनाव चलते रहें, तब तक तुम लोग हिन्दुस्तान मत आओ।

अब मालूम होता है कि श्री मधु लिमये ने जो सवाल उठाया था—एन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट वाला—कि एन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट ने 11–12 मई को यानी पिछले साल चाहा था कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाय, लेकिन वह गिरफ्तारी नहीं की गई, क्योंकि एन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट वित्त मंत्रालय का होता है और उधर गृह मंत्रालय का अपना सी० बी० आई है, दोनों की राय में तफर्का हो गया और तब एक बैठक हुई थी, जिसमें कि गृह मंत्री साहब खुद थे जिसमें और भी बड़े मंत्रियों की राय ली गई होगी, उस बैठक में यह तय हुआ कि अभी श्री तेजा को गिरफ्तार न किया जाय और तब बावजूद इसके कि श्री तेजा के खिलाफ़ मार्च से वारन्ट निकला हुआ था, मार्च, 1966 से, यानी आज से सवा वर्ष पहले से, श्री तेजा को गिरफ्तार नहीं किया गया। गृह मंत्री, उनसे भी बड़े मंत्री और सी० बी० आई०, सी० आई० डी० वगैरह बजाय इसके कि एन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट को कहते कि उनको गिरफ्तार करो, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : वह तो जादूगर मालूम होता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह जादूगर मालूम होता है या सरकार मालूम होती है? सरकार जादूगर है और इस हद तक आप कह सकते हो कि मैं भी एक शरीफ़ आदमी हूं। दो जादूगर जब आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे की कलई खुलने लगती है तो शायद दोनों मेरे पास आते हैं। एक तो आ ही गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मामला जरा रंग पकड़ रहा है। मुझे अब तक समझ में नहीं आता—आखिर को यह जयन्ती तेजा साहब, जिनके बारे में खुद इस सरकार के मंत्रियों ने जो बातें कही हैं, उनकी मैं खाली दो-तीन बातें बताये देता हूं, जिन्होंने ऐसे काम किये हैं, उनके कहने के मुताबिक फौरन गिरफ्तार होना चाहिये था फौरन यहां बुला लेना चाहिये था, फौरन मुकदमा चलाया जाना चाहिये था। क्योंकि श्री संजीव रेड्डी साहब, जो अब अध्यक्ष हैं, पहले वे जहाजरानी के मंत्री थे और इन्होंने अगस्त 25, 1966 को लोक सभा में जो वाक्य कहा है, मैं खाली कुछ ही वाक्य पढ़े देता हूं—मुश्किल यह है कि जयन्ती मैं सोचता

हैं, सभी हिन्दुस्तानी अंग्रेज़ी में बोलते हैं, अगर गलती हो जाय पढ़ने में, और—

"He forged a Resolution of the Company......

दो माने तेजा।

"He forged a Resolution of the Company, gave it to the Company in America and took Rs. 90 lakhs on the basis of a Resolution of the Company to the effect that the money must be handed over to Dr. Teja, not to the Chairman of the Company, not to the Company, but to Dr. Teja. In his personal name, he took the money and put it in the State Bank of India in London. Rs. 20 lakhs withdrawn and Rs. 70 lakhs are still there."

एक तो यह बिलकुल साफ़ चीज है जिसको कि अमानत में खयानत, चोरी, लूट, बदमाशी और उसके लिये कई दफ़ाएं भी हैं अपने फौजदारी हिन्द में और ताजीरात में एक यह अपराध है फिर दूसरा अपराध है।

Mr. Deputy-Speaker: The question is regarding his repatriation. Your time is limited.

डा० राम मनोहर लोहिया : अब यह रिपैट्रियेशन इतना साफ़ है। मतलब यह है कि मैं एक खाली मंत्री की जबानी आप को बतला रहा हूं कि मामला इतना साफ़ है कमिशन की चोरी है जहाज खरीदने की चोरी है, बाहर से नक़ली ढंग से जाली दस्तखत करने का है। यहां अपनी जो दफ़ाएं हैं और उसके अनुसार अमरीका में भी दफ़ाएं होंगी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खाली यह जानना है कि यह अपराध क्या संसार में सार्वजनिक अपराध है या नहीं। यह अपराध कई जगह है लेकिन हमारे यहां जो अपराध हैं तो आप समझिये यहां दफ़ा 465, दफ़ा 466 और फिर दफ़ा 405 और 406 और कम्पनी ऐक्ट की दफ़ा 292, 397 और 398 है। यह तो श्री संजीव रेड्डी का कागज है जब यह जहाजरानी मंत्री थे फिर भी यह सारा मामला क्यों नहीं हो पा रहा है यह दो बार यहां आये मार्च के बाद दोनों बार उनको बड़ी आसानी से यहां से जाने दिया। फिर वह यहां पर आना चाहते थे अक्तूबर महीने में। सरकार की तरफ से उनसे कहा गया नहीं तुम चुनाव के दिनों में यहां मत आना हिन्दुस्तान के बाहर रहो तो कहीं कोई बहुत बड़ा रहस्य का मामला होता है। अगर जो चिट्ठी मेरे पास आई, वह सच है, तब इसमें कोई शक नहीं। मैं हरगिज अभी तक अपना दिमाग यह तो नहीं बनाये हुए हूं कि तेजा साहब पवित्र हैं। मेरा दिमाग अभी तक सिर्फ इतना बना है कि तेजा साहब ने रुपया मारा है, इस में कोई शक नहीं है, लेकिन उसके सांझीदार सरकार के लोग रहे हैं। इन चिट्ठियों से इतना साफ़ होता है और वे लोग देर कर रहे हैं उनको बुलाने में। उनके एक्स्ट्रेडीशन, प्रत्यावर्तन, में उनकी गिरफ्तारी में देर नहीं। उनको गिरफ्तार बिल्कुल किया ही नहीं। उसका कारण यही है। अब मैं रंजीत तेजा के बहुत से वाक्य पढ़ नहीं रहा हूं। अगर पढूंगा तो लोग बहुत ज्यादा घबरा जायेंगे, इसलिये खाली जो मुख्य वाक्य है, वह मैं आप को पढ़ कर सुनाये देता हूं।

**

वह अपनी तारीफ़ में प्रचार करेंगे ही। मैं अब नाम वगैरह छोड़े देता हूं। उन्होंने असल में नाम लिखा है, एक साहब हैं

**

लेकिन चिट्ठी में यह भी है कि मेरे से यह जुर्म होता जा रहा है....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : यह चिट्ठी जाली है। इसके सही होने का सबूत दें, वर्ना कोई इस तरीके का झूठा सबूत नहीं दे सकते।

**Expunged as ordered by the Chair—Vide Col. 7397.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : वह उसे टेबल पर रखने के लिये तैयार हैं।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : मैं साबित करूंगा कि यह चिट्ठी जाली है।

श्री मधु लिमये : वह आरोप कर रहे हैं कि यह जाली है अब उनके महज कह देने से वह कैसे जाली हो सकती है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : यह बहुत गंदी चीज है . . . . (व्यवधान)

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): The question here is regarding repatriation....

Shri V. Krishnamoorthi (Cuddalore): On a point of order . . . (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker: What we are discussing is the question whether Government have failed in carrying on proceedings regarding repatriation of Dr. Teja. That is the only thing before us, and to that extent, I would permit the hon. Member. Beyond that, if the discussion is extended, and if the hon. Member goes beyond the scope of that, I would not permit it.

श्री मधु लिमये : नहीं इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Mr. Deputy-Speaker: Please conclude now.

डा० राम मनोहर लोहिया : वही तो कर रहा हूं लेकिन यह इस तरह से बार-बार जो कहा जा रहा है कि यह चिट्ठी जाली है और टोका जा रहा है तो मैं क्या करूं ? लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि क्या अभी तक कोई मौका आया है जब कभी किसी हिन्दुस्तानी या परदेसी से साबित किया है कि मैंने कोई खत या कोई चीज इस्तेमाल की है जो जाली है। सैकड़ों बार ऐसे मौके आये हैं। . . .

श्री रणबीर सिंह (रोहतक) : आप को वह जाली भेज दी होगी आप ने वह जाली नहीं बनाई है।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह क्या वाहियात बातें हैं ?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, वह उसे जाली कह रहे हैं वह आरोप कर रहे हैं इसलिये इस पत्र को सदन की टेबुल पर रखने दिया जाय . . .

Shri Govinda Menon: On a point of order. The letter which Dr. Ram Manohar Lohia refers to is a letter allegedly written by persons who are being prosecuted....

एक माननीय सदस्य : पार्टनरशिप हो गयी आप की।

श्री मधु लिमये : बिलकुल नहीं . . .

Shri Govinda Menon: How is that relevant in this discussion?

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे बोलने भी दिया जाय। वही मैं बतलाने जा रहा हूं . . .

Shri Govinda Menon: You know that under the relevant rule there shall be no formal motion before the House nor voting. The Member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Therefore, all that I thought would come up would be the question regarding extradition. The word 'repatriation' has been used here *instead* of that.

The only question is whether regarding extradition or repatriation, vigorous steps are being taken by the Ministry of the Government concerned. I should submit with due deference to Dr. Ram Manohar Lohia that he is travelling far far far off from the matter which is under discussion....

श्री० मधु लिमये : बिलकुल नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं उसी पर बोल रहा हूं . . .

Mr. Deputy-Speaker: At this rate, the hon. Minister will get no time to reply.

श्री मधु लिमये : ऐसा न करियेगा । हमें भी सवाल पूछने का अधिकार है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: I have already pointed out that the scope of discussion under this rule is very limited. The hon. Member has strayed for so long and covered a very wide ground.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बिलकुल वही बोल रहा हूं जो मुझे बोलना चाहिये । मैं जैसा आप समझते हैं भटक नहीं रहा हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should try to conclude now. Otherwise, after half an hour, I shall adjourn the House, and the hon. Member will not get any reply from the hon. Minister.

श्री मधु लिमये : ऐसा आप नहीं कर सकते । जब मन में आये इस तरह से ऐंबरप्टली आप हाउस को ऐडजार्न नहीं कर सकते ।

Shri Govinda Menon: The hon. Minister is not allowed to reply.

Mr. Deputy-Speaker: Otherwise the hon. Minister would have the right to say that his time is up.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय मैं बिलकुल सबजेक्ट पर रहा हूं । लेकिन यह जानना चाहता हूं कि यह मामला अब तक क्यों चलता रहा? क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुईं और जब वह यहां पर आये थे तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया और क्यों अब तक मामला चल रहा है? मुझे शक है कि यह सरकार अमरीका में भी उस मामले को ठीक तरीके से नहीं चलायेगी। उस को डर लग गया। मुझे यह भी शक है कि यह बात जो मेरे पास लिखा जा रहा है उस का एक मकसद यह भी हो सकता है कि यह लोग डर जायें देखो तुम्हारा सारा मामला मैं अब खोल कर रखने वाला हूं इसलिये यह भी हो सकता है। कई मतलब हो सकते हैं यह सब उस मामले में आ सकते हैं (व्यवधान) इस तरह से मुझे क्यों टोका जा रहा है अब देखिये उपाध्यक्ष महोदय यह लोग किस तरह से शोर कर रहे हैं।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member has already taken more than 15 minutes.

Shri Govinda Menon: He has taken more than 20 minutes.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मेरा कसूर नहीं है आप इस झुंड को रोकिये जो इस तरह से बार बार टोकाटाकी कर रहा है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

Shri Govinda Menon: He should not take this opportunity to turn this discussion towards other things.

डा० राम मनोहर लोहिया : अब इसका क्या मतलब है कि इस तरह से मुझे कानून मंत्री भी बोलने से रोक रहे हैं?

Mr. Deputy-Speaker: The scope of the discussion is very limited. If the hon. Member does not conclude now, then the other Members would not get any opportunity to put questions.

Shri Govinda Menon: The reference to these things should be expunged.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं कह रहा था....

Shri Govinda Menon: I am requesting you to stop this, because he is indulging in irrelevant things. Therefore, I am making the request.

Shri Madhu Limaye: The half-an-hour discussion is a discussion arising out of the answers to questions......

उसमें एक सवाल यह पूछा गया था कि जयन्ती धर्मतेजा को हिन्दुस्तान से जाने देने में कुछ लोगों की सहायता रही ....

Shri Govinda Menon: All kinds of things are being indulged in.

श्री मधु लिमये : लाघ भाई ने कहा था और मैं बहुत धर्म से आरोप लगा रहा हूं। जो पूरा सवाल जवाब होता है तो उसी में से आध घंटे की बहस उत्पन्न होती है।

Shri Govinda Menon: This is a matter to which we would like to give a reply.

Mr. Deputy-Speaker: Even without the Law Minister's raising a point of order, I reminded him about the scope of this discussion.

डा० राम मनोहर लोहिया : व्यवस्था का प्रश्न उठा कर मेरा समय खराब किया जा रहा है। आप चाहते क्या हैं ?

Shri Govinda Menon: There should be some rules of debate.

Shri Randhir Singh: Our names are there with you. Let us be given a chance.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं खत्म कर रहा हूं लेकिन इसके यह माने नहीं कि इस तरह से प्रक्रिया के मामले को आप ला सकते हैं। मैं एक चीज पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन अब तो मैं पढ़ कर रहूंगा। यह नहीं हो सकता कि मैं न पढ़ूं।

श्री जार्ज फरनेंडीज (बम्बई दक्षिण) : इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि भारत सरकार से वान्टेड है। (व्यवधान)। क्या मुलजिमों की चिट्ठियां यहां पढ़ी जायेंगी ?

Shri Govinda Menon: The hon. Member is travelling far beyond the subject under discussion.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो आदमी भारत सरकार से वान्टेड है उस की चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं। यह खत नकली है। ***

Mr. Deputy-Speaker: This will not be recorded.

श्री मधु लिमये : तो क्या हुआ ? यह कैसे कहा जा सकता है कि यह जाली खत है यह कहा जा सकता है कि इसमें जो लिखा है वह गलत है।

Several hon. Members *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: Please resume your seat. I did not permit Shri Madhu Limaye to make any observations. Dr. Lohia is arguing his point. The time is very limited.

श्री मधु लिमये : किस ने समय लिया ? उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

Mr. Deputy-Speaker: Before that, I pointed out....

श्री मधु लिमये : आप ने गलत कहा है। मैं बतला रहा हूं कि क्या स्कोप है।

Mr. Deputy-Speaker: I reminded him about the scope of this discussion.

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बतला रहा हूं कि स्कोप क्या है: arising out of answers given.

***Not recorded.

इसमें स्टेटमेंट भी आ जाता है।

Mr. Deputy-Speaker: No, no.

श्री मधु लिमये : नो नो क्या? इस सदन में कोई नियम है नहीं?

Mr. Deputy-Speaker: If you are going to question my procedure and decision, I will not allow you to speak a word.

Shri Govinda Menon: On a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Please sit down.

श्री मधु लिमये : क्या डिसीजन दिया आप ने उनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया। मेरा क्यों नहीं सुना?

Mr. Deputy-Speaker: I am not going to listen to you. Already you have said what you have got to say.

श्री मधु लिमये : क्यों नहीं?

Mr. Deputy-Speaker: I have got the rule before me. Every time this is my observation—and the observation of the House—that in the name of a rule or some procedure, you quote extraneous things.

श्री मधु लिमये : मैं ने नहीं कहा है।

Mr. Deputy-Speaker: I am not going to permit it.

श्री मधु लिमये : बिल्कुल नहीं। इस तरह से कभी नहीं होता है। आप बिल्कुल नियम के बाहर जा रहे हैं।

Shri Govinda Menon: On a point or order.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह कानून मंत्री हैं या क्या हैं?

श्री मधु लिमये : हम को भी अधिकार है।

Dr. Ram Manohar Lohia: "He certainly was one person who knew....

Shri Govinda Menon: On a point of order. He is reading a letter from the accused....

Dr. Ram Manohar Lohia: "He certainly was one person who knew ...

Shri Govinda Menon: That must be expunged.

श्री मधु लिमये : यह कभी नहीं हो है।

Shri Govinda Menon: I am raising a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Please sit down.

श्री शशि भूषण बाजपेयी : मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या इस हाउस में किसी एक्यूज्ड की चिट्ठी पढ़ी जा सकती है? मैं आप की रूलिंग चाहता हूं। जो वान्टेड है हमारी सरकार में ....

Shri Govinda Menon: The Government of India are prosecuting Dharma Teja. We are making attempts to extradite him. Here, Dr. Lohia, without knowing it, has become an agent of Dharma Teja and is utilising this platform, this august assembly, to read out a letter, and making a defence for him.

Shri Piloo Mody (Godhra): The Minister should know that he cannot stand when the Deputy-Speaker is on his legs.

Mr. Deputy-Speaker: A relevant point has been made. He is one of the accused or co-conspirator, whatever you call it. Now the hon. Member is relying on one of the accused in this case. I will not permit him to read that.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप इधर भी देखिये। यह हर्गिज नहीं हो सकता।

Shri Randhir Singh: He is a discredited person. He can manufacture documents.

श्री मधु लिमये : आप तानाशाही अधिकार ले रहे हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप ठंडे मन से सुनिये। मैं आप को बतला रहा हूं।

Mr. Deputy-Speaker: I will sit for one hour for a quiet discusion, I will give you more time, but please resume your seat. You have raised a half-hour discussion on a question and you wanted to know what steps Government has taken for extradition of this gentleman who is supposed to be an accused.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप मेहरबानी करके मेरी राय सुनिये। अगर कोई आदमी दोषी है तो भी उसकी बात सुननी पड़ती है। हर आदमी की बात सुननी पड़ती है।

Mr. Deputy-Speaker: Then, if you come forward with a document from a co-accused, is it permissible? He has said he is a co-accused.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह आप कह रहे हैं कि वह दोषी है। (व्यवधान)

Mr. Deputy-Speaker: It cannot be cited on the floor of the House, because it has no evidential value, because he is an interested party. Please realise that.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं इस से नतीजें निकाल रहा हूं।

Mr. Deputy-Speaker: This letter which is supposed to be in his possession is written by one who is a co-accused. Is it true? Then, nothing will go on record so far as this letter is concerned.*

डा० राम मनोहर लोहिया : यह कैसे हो सकता है?

Mr. Deputy-Speaker: I want a clarification from the Law Minister.

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी बात सुन लीजिये।

Mr. Deputy-Speaker: Is the whole thing sub-judice?

Shri Govinda Menon: Yes.

Mr. Deputy-Speaker: The whole matter is sub judice.

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या कर रहे हो?

श्री मधु लिमये : किस नियम के अन्दर यह कर रहे हैं? ....यह तानाशाही इस सदन में चल रही है। आप को कोई अधिकार नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या मजाक कर रहे हो?

श्री मधु लिमये : कौन सा नियम है कि यह नहीं आयेगा रेकार्ड में।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कर ऐसा काम कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : आप नियम के अनुसार काम कीजिये।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : यहां पर मुलजिम की चिट्ठी लाई जाती है। अगर कोई ऐक्यूज्ड है तो उस को सजा होनी चाहिये, यह सारा हाउस डिमान्ड करता है। लेकिन उसकी चिट्ठियां नहीं पढ़ी जा सकती। (व्यवधान) जाली चिट्ठी है। (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : आप साबित कीजिये कि जाली है।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : मैं कहने के लिये तैयार हूं, अध्यक्ष महोदय। आप...

*Please see Cols. 7388 and 7394.

(व्यवधान) मैं साबित करने के लिये तैयार हूं ....(व्यवधान)

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मेरा इतना समय निकल गया।

श्री शशि भूषण वाजपेयी : यह बहुत बड़ा अन्याय है। यह निकाला जाना चाहिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : कोई चीज नहीं निकाली जा सकती रिकार्ड से।

श्री मधु लिमये : हर दफे आप रिकार्ड से निकालने की बात कहते हैं।

श्री शशि भूषण वाजपेयी : यह तेजा साहब के एजेन्ट हैं। (व्यवधान) देश का दुश्मन है तेजा। उस की चिट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती है। यह बहुत गलत चीज है।

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, जब वह बोलते हैं तब आप उनको बोलने देते हैं?

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Mr. Deputy-Speaker: I want a clarification. I would like to know how it is sub judice, (*Interruptions*). I will hear you, but let me get a clarification.

श्री मधु लिमये : इससे क्या फर्क पड़ता है पत्र पढ़ने में कि वह को-एक्यूज्ड है?

श्री शशि भूषण वाजपेयी : मैं आपके खिलाफ कल दस चिट्ठियां पढ़ूंगा।

लिमये : पढ़िये न

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप उनकी सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। बिना

रुकावट के जैसे उनकी सुना, बिना रोक टोक मेरी सुनेंगे। मैं भी सुनूंगा। आप उन को भी रोकेंगे और खुद भी रुकेंगे।

Shri Govinda Menon: Extradition means this. There are charges and cases in India. Because the accused is not available in India, he should be brought from the United States of America. The question is: Why is he not being brought quickly? Now, Sir Dr. Teja and his friends and his wife ary trying to build up defence against the case and Dr. Lohia. I do not say deliberately or consciously constitutes himself an agent in order to see that that defence is built.... (*Interruptions*).

This august forum is being utilised by Shri Madhu Limaya and his leader Dr. Lohia or Dr. Lohia and his leader Shri Madhu Limaya; this august forum is being utilised to propagate that defence. That is something which you in the Chair should not allow. These leters, if true, are letters intended to go on record so that when they come here the cases can be defended on the basis of all tnese allegations.

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): I should like to add to what the Law Minister has stated. The position is that a New Delhi Magistrate has found Dr. Teja and Mrs. Teja as *prima facie* liable or guilty. I do not know the legal parlance and so do not catch me on that of criminal offences. He said that they should be brought back to face trial. The judgment of the New Delhi Magistrate had been authenticated by the Embassy here ad it had been flown to the United States. We have filed extradition proceedings. Dr. Teja and Mrs. Teja were arrested and released on bail. Further hearing is coming on the 28th June. I do not want to go into all the various things which had been mentioned in this House. I am very anxious, as I have no doubt my friends on the opposite side are

[Dr. V. K. R. V. Rao]

equally anxious, we want to see that we bring back Dr. Teja and Mrs Teja as both are accused in this matter.. (*Interruptions.*) Why do you not listen to me? I am speaking for the first time. So, we have been taking steps to bring them back. 28th June is the next hearing date. My great fear is this. I would not for one moment dream of disputing the authenticity of the letter Dr. Lohia is reading before the House. I would not make that charge. I am certain Dr. Lohia would not have read that letter unless he is sure of its authenticity. Obviously, it must have been written to him and must have come to him by post.

But what I would like to say is this There may be our own quarrels; that is a different matter. But on one thing we are all agreed; that these two people, Dr. Teja and Mrs Teja have committed all sorts of frauds according to the *prima facie* findings of the New Delhi Magistrate. Civil suits are pending against them. Criminal cases should be taken to their logical conclusion. We cannot do this till we bring them to this country. Without going into the correctness or wrongess of what Dr. Lohia is reading, I would most respectfully suggest to him that this kind of a debate in this House will be used on the 28th of June. Allegations will be made. There is going to be very strong defence. There is every chance that anything we say in this House, because of our internal differeces which are perfectly legitimate and about which we can argue, and all that Dr. Lohia has read, these allegations and further remarks that come out on account of the heated exchange of words—all these things, I am terribly afraid, may be referred in the extradition proceedings on the 28th June. After all we have no cotrol over the courts of the United States. The legal position is, the New York Court must be satisfied, that so—and—so, so—and—so is *prima facie* guilty of the charges on which the New Delhi Magistrate says they are guilty. We must also remember this. Incidentally, when Dr. Lohia was reading that letter, that came out a little bit. If I may anticipate he line of defence that is going to be taken—I may be wrong, and this is my guess—it is going to be this: Here is a great private sector enterprise; somebody who was trying to build up something in the private sector, and all sorts of attempts are being made to stop that. And the sentiment in the United States—the kind of feeling that they have in favour of private enterprise are going to be whipped up, and all these things would be brought in, and things will be confused. I can say with all honesty that I am absolutely anxious, we are anxious, to bring this gentleman and his wife back here, because they had committed certain offences against the laws of this country. We want to try them in accordance with the law. We do not want to convict them in their absence. And anythig that we say in this House might militate against that common objective. Therefore, without going into the points of order and so on, on which I know nothing at all—I am a complete newcomer to this House—I would request Dr. Lohia, let him kindly not bring in that letter and things of that all kind, because it is written by a person who is one of the accused, a person whom we are trying to bring back, and who is making allegations. I am not prepared to talk about them just now. When the time comes, we can discuss it, but just now the extradition proceedings are pending. I do not know if it is *sub judice* and all that. I do not know about the law; my hon. friend the Law Minister knows better.

I would only say that from the common-sense point of view, from the point of view of carrying out the objective that we have, namely, to bring these people back here, those letters should not be referred to here Afterwards, it is a different matter I will tell you, that when they come back, it will not be a question of writing letters: they can say all these

things and more. As far as we are concerned we are anxious that they should come back, and say everything they have got to say. Then they can be cross-examined, and truth will emerge. We are not afraid.

So, my request would be this: Without going into the formalities, I would say this. I am sure not only Dr. Lohia but other hon. Members also must have received letters; letters might have been received by other Members of the Opposition also. He has also written to us, (*Interruption*) saying that he would like to return vountarily and participate in the civil proceedings. I beg to submit, if I may say so, all this is part of the game which is intended to delay the proceedings and eventually it may even result in defeating the objective.

Therefore, I would earnestly request Dr. Lohia not to mention, not to make reference to the document but to confine his argumet to anything else other than using the material given to given to him by one of the accused.

Shri D. C Sharma (Gurdaspur): A point of order. When the case is sub judice, why was it brought on the floor of the House?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Please resume your seat. I want one clarification from you. If a man is supposed to be the accused, and a case is registered against him—I am not clear in my mind—and if still the case has not come before the court—

Shri Govinda Menon: It has come. The law is that from the date on which—

Shri Randhir Singh: The Delhi High Court's ruling is that when the name of a person appears in the FIR, from that stage, he is an accused.

Shri Govinda Menon: The moment the charge-sheet is filed before the court, the matter becomes *sub-judice*. There are decisions which go to this extent: from the day on which the FIR goes to the court, the matter is *sub judice*.

Shri Randhir Singh: When the name is mentioned in the FIR, when the police machinery is moving against him, he becomes the accused.

Mr. Deputy-Speaker: I do ot know whether the case has been filed. If it is *sub judice*, it should not be referred here. There, I am correct.

Shri Govinda Menon: Objection was not raised, because we thought that the question would be regarding repatriation.

Shri D. C. Sharma: Why was not the point about *sub judice* raised when the debate began? That is my question.

Shri Govinda Menon: It was not raised because I thought the discussion will be on the question of repatriation. On the other hand, the discussion has developed into what those people are building up by way of defence being put in the debate.

Shri D. C. Sharma: The whole of this discussion is ultra vires.

Mr. Deputy-Speaker: If a matter is sub judice, we do not allow that to be referred to in the House. (श्री मधु लिमये : किस नियम के मातहत ?) You Dr. Lohia, have read a part of the letter. After listening to the minister, I feel that if instead of putting it here if you hand it over to Dr. Rao, it will facilitate the extradition and repatriation of the accused. That is my personal view. I am making this request to you.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इससे बिलकुल उल्टी बात कहनी है । सब से पहली बात तो यह है कि यहां पर आवेश में आकर लोगों ने कह दिया कि जैसे कोई मैं इन लोगों की बात को मान कर उनकी तरफ से सरकार के खिलाफ कोई पैरवी कर रहा हूं । असलियत में उपाध्यक्ष

[डा० राम मनोहर लोहिया]

हूं कि ये लोग तो अपराधी हैं, लेकिन इनके अपराध में सरकार के लोगों को भी शिरकत रही है और उस शिरकत को अब छिपाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बड़ी गन्दी हरकत होगी ।

मैं चाहता हूं कि हम लोग यहां पर जो भी कार्यवाही करें, वह सच्चाई के हक़ में हो और देश के लिये हितकर हो । एक अपराधी है, उस ने व्यापार में चोरी की, उस ने कई तरह के कानूनों को तोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ उसको जो कुछ मुनाफ़ा हुआ, अगर उस ने उस में से कुछ मुनाफ़ा सरकार के कई मंत्रियों को पहुंचाया है और वह बात अगर सामने आती है, तो उस से देश का बड़ा भारी हित होता है । दोनों बातें सामने आनी चाहिएं । यहां यह बात बड़े ज़ोर से कही गई है कि चूंकि सरकार ने 28 जून को पैरवी कर रखी है, इस लिये यहां पर कही गई कुछ बातों का प्रभाव उस पैरवी पर पड़ने की आशंका है । इस का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि मुझे इस बात का पूरा शक है कि ये लोग किसी संजीदगी और गम्भीरता के साथ तेजा साहब को सचमुच यहां लाने की कोशिश करेंगे । जिस तरह से अब तक सरकार ने ढील दे रखा है—वह यहां आए, उनके खिलाफ़ वारंट था, उनको गिरफ्तार नहीं किया और दो दफा यहां से चले जाने दिया—जिस तरह से उनको कहा गया कि चुनाव के दिनों में हरगिज मत आना, उसी तरह 28 जून को भी जब अमरीका में यह मुकदमा आयेगा, तो ये लोग अपनी तरफ से ..... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय आप इन लोगों को जरा नियंत्रण में रखिए, ताकि ये लोग मेरी पूरी बात को सुनें, जिस तरह मैंने इन लोगों की बात सुनी है ।

Mr. Deputy-Speaker: I do not think you have any intention to assist the accused even indirectly and unwittingly. At the same time, you are indirectly suggesting that Government she is trying to shield him. That is not fair.

डा० राम मनोहर लोहिया : क्यों नहीं, आखिर यह लोक सभा किस लिए बनी है ?

श्री शशि भूषण बाजपेयी : लोक सभा इनका अखाड़ा बन गई है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने अधिकार की सीमा को समझिए ।

Shri D. C. Sharma: Is it proved that he was here twice after the cases has been registered against him and he was allowed to go away? It is a very serious thing.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे अधिकार की सीमा है, वैसे ही आपके भी अधिकार की सीमा है और उस सीमा के रहते हुए आप मेरी बात को सुनिये । जब बात तोड़ दी जाती है, ... (व्यवधान) देखिए, मामला कहां तक ....

Mr. Deputy-Speaker: Please be brief.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ? जब और सदस्य बोलते हैं, तब आप "बि ब्रीफ" तो नहीं कहते ।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : पायंट आफ आर्डर, सर । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर किसी एक्यूज्ड की चिट्ठी को सही मान लिया जायेगा, तो आईन्दा के लिए यह बहुत खतरे की बात होगी । हम उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं कर सकते । सारा देश उस पर अविश्वास करता है । उस ने देश का धन लूटा है । हमारी पुलिस उसके पीछे पड़ी है और एक एक आदमी उसको पकड़ना चाहता है । अगर ऐसे व्यक्ति की चिट्ठी को सही

माना जायेगा, तो यह गलत बात होगी। मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: Rule 352 is very clear. It says:

"A member while speaking shall not—(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending."

श्री मधु लिमये : इस पर क्या जुडिशल डिसिजन है ? इस पर कोई जुडिशल डिसिजन नहीं है।

Mr. Deputy-Speaker: It is called *sub-judice*. Therefore, this will not go on the records.

डा० राम मनोहर लोहिया : जो बातें मैं कह रहा हूं, उस पर कोई जुडिशल डिसिजन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आप उनके लिये उदार थे, वैसे ही आप मेरे लिये भी उदार रहिये। (व्यवधान) आप मेरे लिये उदार नहीं हैं।

Mr. Deputy-Speaker: This is unfair.

Shri Govinda Menon: This is an insinuation against the Chair which, as a Member of this House, I would object to.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मामला सरकार के ऊंचे शिखर तक पहुंच जाता है। मैंने अक्सर इस सदन में देखा है कि अगर सरकार के इधर-उधर के लोगों पर हमला हो, तो ठीक है, लेकिन जब सर्वोच्च शिखर पर हमला हो जाता है, तो आप लोग इस तरह छटपटाने लग जाते हैं, जैसे मछली नदी के बाहर निकाल दी गई हो। इसलिये आप छटपटाइये मत और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिये। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब इन पर हमला होता है, तो इनके साथी छटपटाते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : जो मुकदमा 28 जून को हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से यह कोशिश हो सकती है—भविष्य आपको बतायेगा—कि सम्मान चलाए। अमरीका में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में ..... (व्यवधान)

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): This is all speculation that Dr. Lohia is doing of what is going to happen in the future. Is he a prophet?

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ? ये लोग बहुत ज्यादा सट्टेबाजी कर रहे थे। मैं तो अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। उन्होंने यही कहा है न कि यहां की बहस के कारण उनको 28 जून को अपना मुकदमा चलाना मुश्किल हो जायेगा ? ये लोग जान-बूझ कर अपना मुकदमा अच्छी तरह नहीं चलायेंगे, उस को यहां नहीं लायेंगे और अगर लायेंगे भी ..... (व्यवधान)

Dr. V. K. R. V. Rao: I challenge that: I repudiate that. Certainly not. Why do you make allegations (*Interruptions*)?

श्री मधु लिमये : रिपूडिएट करने से क्या होता है ? (व्यवधान)

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या वाहियात बात कह रहे हो ? शर्म नहीं आती है ? बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करते हो ..... (व्यवधान) तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ? (व्यवधान) बेशर्म लोग हैं। जितनी गर्मी मुझ पर दिखा रहे हो..... (व्यवधान) कल का छोकरा यहां पर गर्मी दिखाने आया है। (व्यवधान) कल तक पढ़ाया करता था, अभी राजनीति में आया है, आज मुझ पर गर्मी दिखाने आया है। क्या यह कोई तरीका है ? (व्यवधान) जा कर गर्मी और कहीं दिखाना। यह गर्मी की जगह नहीं है। (व्यवधान) तुम्हारे जैसे हजारों ..... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या ये शोर करके किसी को दबायेंगे ? ये पचासों दफा इस प्रकार का ड्रामा कर चुके हैं। यह ड्रामा अब यहां नहीं चल सकता है। मैं इनसे ज्यादा वोट लेकर यहां आया हूं। ये धोखा देना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी और प्रजातन्त्र की हत्या करना चाहते हैं। (व्यवधान)।

Mr. Deputy-Speaker: In view of the tone and temper of the discussion which brings down the dignity of the House, I adjourn the House till 11.00 A.M on Monday.

18.50 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, June 26, 1967/Asadha 5, 1889 (Saka).

GMGIPND—LS II—923 (Ai) LSD—30-10-67—1094.